तोफा देवी बनाम राजस्व दावा 5002/08

13/07/23 पत्रावली देखी गई। आवास दिखवाया गया। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादी एवं प्रतिवादी में से कोई उपस्थित नहीं आये। उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आगे के आदेश जारी कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे वादनी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादिनी मुताबिक कुर्रेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादनी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक कुर्रेजात व रेग मुताबिक नकशा रहेगा। कुर्रेजात जिसमें का जारी रहेंगे। तदनुसार पत्रावली डिक्री नस्ती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वादकरणीय दस्तावेज दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)